

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत
(पीठासीन अधिकारी ग्रामीण सेवा शिविर/कैम्प कोर्ट -)

-: आदेश :-

राजस्व डा.पत्र सं. 41/2026

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का सिरोही भू. अ. निरीक्षक किवरली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारेण में ग्राम सिरोही भू. अ. निरीक्षक वृत्त किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही की जमाबन्दी सम्वत 2082 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सिरोही	167	शरत कुमार पुत्र देकारा	शरत कुमार माता पुत्र देकारा
2.	—	323	— do —	— do —
3.	—	560	— do —	— do —
4.	—	561	— do —	— do —
5.	—	776	शेष बस्तर	शेष बस्तर
6.	—	32	— do —	— do —
7.	—	382	— do —	— do —
8.	—	558	— do —	— do —

(डॉ. अंशु प्रिया)

आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

दिनांक-28/04/2026

क्रमांक/ 60

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावे।
2. प्रार्थी श्री शरत कुमार माता पुत्र देकारा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (सिरोही)

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

